

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या - 2154, 2155, 2156, 2157, 2158 व 2159/2015जिला-जयपुर.....

उनवान-मै0 मैपल होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्रा0लि0 जयपुर बनाम अपीलीय प्राधिकारी-द्वितीय जयपुर व सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, वाणिज्यिक कर, जौन-द्वितीय, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	----------------------------------	---

16.12.2015

खण्डपीठ कैम्प-जयपुर
श्री टीलेंगीणा,अध्यक्ष
श्री ईशवरी लाल वर्मा,सदस्य

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये छः अपीलें मय स्थगन प्रार्थना-पत्रों के अपीलीय प्राधिकारी-द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के क्रमशः अपील संख्या अ.प्रा.11/स्थगन/अपी.स /375, 374, 373, 376, 377 व 378/2015-16 में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 01.12.2015 जो विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे “वैट अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 38(4) के प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलें में अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी के विरुद्ध कायम की गई कर, ब्याज व शास्ति की कुल मांग राशि में से शास्ति पर रोक स्वीकार करते हुए, शेष कर व ब्याज की राशि अस्वीकार की है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों के विरुद्ध, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निम्न तालिकानुसार कर व ब्याज को स्थगित नहीं किये जाने को विवादित किया गया है।

अपील सं.	वर्ष	कर	ब्याज	चाहा गया स्थगन
2154/15	2009-10	32,385/-	22,995/-	53,760/-
2155/15	2010-11	32,400/-	19,120/-	49,900/-
2156/15	2011-12	89,058/-	41,856/-	1,26,461/-
2157/15	2012-13	1,62,239/-	56,783/-	2,10,910/-
2158/15	2013-14	2,19,273/-	50,551/-	2,59,335/-
2159/15	2014-15	13,773/-	2,071/-	15,155/-

उपरोक्त सभी अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने एवं एक ही व्यवहारी से संबंधित होने से इनका निष्पादन एक ही आदेश से किया जा रहा है। आदेश की प्रति सभी पत्रावलियों पर पृथक-पृथक रखी जावें।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपनी होटल/रेस्टोरेन्ट में कुकड-फुड इत्यादि की बिक्री की जाकर जारी बिलों में वैट व सर्विस टैक्स वसूल किया जाता है, व्यवहारी द्वारा उसके द्वारा वसूल किया गया सर्विस टैक्स को विक्रय का भाग नहीं माना गया तथा वसूले गये सर्विस टैक्स पर कर का भुगतान नहीं किया गया। इस आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध कर एवं ब्याज व शास्ति का आरोपण किया। व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों से व्यथित होकर, अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने पृथक-पृथक आदेश से शास्ति की वसूली पर रोक लगाई तथा कर व ब्याज को वसूली योग्य माना। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से क्षुब्ध होकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये स्थगन प्रार्थना मत्र मय अपीलें प्रस्तुत करते हुए, प्रकरण में बकाया मांग राशियों को स्थगित न

16.12.2015

स्थगन प्रार्थना-पत्र मय अपील के संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री विवेक सिंघल एवं राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह की बहस सुनी गई।


अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री विवेक सिंघल बहस के दौरान तर्क दिया कि अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवं उचित नहीं है। अग्रिम कथन किया कि व्यवहारी द्वारा जारी बिलों पर जो सर्विस टैक्स वसूल किया जाता है वो विक्रय का भाग नहीं है। अतः इस पर कर दायित्व नहीं बनता है। कर निर्धारण अधिकारी ने इसको विक्रय का भाग मानकर करारोपण किया है, जो कि विधिसम्मत नहीं है। अतः मांग राशि के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण में सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, उपरोक्त तालिकानुसार विवादित मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी। अपने तर्क के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा प्रकरण संख्या 1950, 1951, 1952 व 1953/2015/मै0 इण्डियन होटल्स क0लि0 (यनिट जय महल पैलेस होटल) में पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 का उद्धरण पेश किया।

विभाग के विद्वान उप-राजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को विवेचित करते हुए आदेश पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है अतः व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन पत्र मय अपीलों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की है।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। अपीलीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन एवं पक्षकारों की बहस सुनने के पश्चात, प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट होता है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध कायम विवादित मांग की वसूली कार्यवाही अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप जमानत प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय तक स्थगित की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करेंगे।


अपीलों का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।



(ईश्वरी लाल वर्मा)

सदस्य


(बी.के.मीणा)
अध्यक्ष